

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान
दायरा दिनांक 15.02.2022

वाद संख्या 05/22

पीठासीन अधिकारी - श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

- 1-कालीचरण पुत्र मांगीलाल उम्र 27 वर्ष जाति कोली निवासी बीची तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 2-पवन पुत्र मांगीलाल उम्र 20 वर्ष जाति कोली निवासी बीची तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 3-रुकमणी पुत्री मांगीलाल उम्र 32 वर्ष जाति कोली निवासी बीची तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 4-हल्की पुत्री मांगीलाल उम्र 25 वर्ष जाति कोली निवासी बीची तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 5-राधा पुत्री मांगीलाल उम्र 23 वर्ष जाति कोली निवासी बीची तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 6-रामकली पत्नि मांगीलाल उम्र 52 वर्ष जाति कोली निवासी बीची तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

बनाम

- 1-श्रीलाल पुत्र घासी जाति कोली निवासी बीची तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 2-ज्ञानी पुत्र घासी जाति कोली निवासी बीची तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 3-पिल्लूराम पुत्र घासी जाति कोली निवासी बीची तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 4-सुखलाल पुत्र घासी जाति कोली निवासी बीची तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 5-गोपीलाल पुत्र घासी जाति कोली निवासी बीची तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 5-मुन्नी पुत्री घासी पत्नि रामकिशोर जाति कोली निवासी बीची हाल निवासी गदरेटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 7-राजस्थान राज्य जर्ने तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट 1955

अंतिम निर्णय दिनांक- 08.05.2025

उपस्थित - वादीगण की ओर से - श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से - श्री पंकज शर्मा एडवोकेट

उक्त उनवानी वाद को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.05.2024 से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख0न0 170/317 रकबा 15.00 बीघा कृषि भूमि ग्राम मोहनपुर पटवार हल्का बीची तहसील शाहाबाद में से वादी हिस्सा 1/7 का विभाजन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहाबाद को विभाजन प्रस्ताव पेश करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना में 07.05.2025 को तहसीलदार शाहाबाद द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया, जिसे उभयपक्ष ने स्वीकार कर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। तहसीलदार शाहाबाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है-

08/05/2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
1-	कालीचरण पवन पुत्र रूकमणी हल्की राधा पुत्री रामकली बेवा मांगीलाल हि.1/7 जाति कोली निवासी बीची	170/317/1 उत्तरी	2.03	ब.चा.	0.64

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
2-	सुखलाल पुत्र घस्सी हि.2/7 श्रीलाल ज्ञानी गोपीलाल पुत्र मुन्नी पुत्री घस्सी हि.4/7 जाति कोली निवासी बीची	170/317 दक्षिणी	12.17	ब.चा.	3.85

अतः तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर ग्राम मोहनपुर तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 170/317 रकबा 15.00 बीघा में से वादी हिस्सा 1/7 उत्तरी का विभाजन किया जाता है। उपरोक्तानुसार वादी का प्रथक खाता कायम कर तरमीम की जावे। वादी को विभाजित हिस्सा 1/7 पर बाद पैमायश दखल दिया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के विभाजित उत्तरी हिस्सा 1/7 कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

08/05/2025
 उपखण्ड अधिकारी
 शाहावाद